प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद।

(आपूर्ति शाखा)

(विज्ञापन संख्या–01/2026)

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में निहित प्रावधानों, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक 963, दिनांक 20.01.2016 ज्ञापांक 2342 दिनांक 15.02.2016, पत्रांक 1222 दिनांक 08.03.2017 एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 3801/खाद्य, पटना, दिनांक 19.12.2025 द्वारा प्राप्त आदेशानुसार/निदेशानुसार जहानाबाद जिला अन्तर्गत जहानाबाद, अनुमंडल की कुल 94 जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्त पदों को भरने हेतु सुयोग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पंचायतवार/वार्डवार रिक्ति की विवरणी संबंधी विस्तृत विज्ञापन आरक्षण/कोटिवार जहानाबाद जिला के बेबसाईट www.jehanabad.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10.02.2026 (कार्यालय अवधि तक) है। आवेदन निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद के पते पर स्वीकार किये जायेगें। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि के बाद निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से आये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

12/01/2026

अनुमंडल पदाधिकारी,

जहानाबाद।

Scanned by CamScanner

अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद।

(आपूर्ति शाखा)

विज्ञापन सं0–01/2026

जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति चयन हेतु आम सूचना

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में निहित प्रावधानों, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक 963, दिनांक 20.01.2016 ज्ञापांक 2342 दिनांक 15.02.2016, पत्रांक 1222 दिनांक 08.03.2017 एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 3801/खाद्य, पटना, दिनांक 19.12.2025 द्वारा प्राप्त आदेशानुसार/निदेशानुसार जहानाबाद जिला अन्तर्गत जहानाबाद, अनुमंडल की प्रखंडवार जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्ति भरने हेतु सुयोग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्ति की विवरणी

क्र0	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	सामान्य एवं लागू किया जाने वाला रोस्टर	अभ्युक्ति
1	जहानाबाद ग्रामीण	सुरंगापुर	अनुसूचित जाति महिला	बैकलॉग
2	जहानाबाद ग्रामीण	सुरंगापुर	अनुसूचित जनजाति	
3	जहानाबाद ग्रामीण	जमुक	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
4	जहानाबाद ग्रामीण	सिकरिया	गैर आरक्षित वर्ग महिला	
5	जहानाबाद ग्रामीण	सिकरिया	पिछड़ा वर्ग	
6	जहानाबाद ग्रामीण	सिकरिया	गैर आरक्षित	
7	जहानाबाद ग्रामीण	कल्पा	अनुसूचित जाति महिला	
8	जहानाबाद ग्रामीण	कल्पा	गैर आरक्षित	
9	जहानाबाद ग्रामीण	कल्पा	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	
10	जहानाबाद ग्रामीण	पंडुई	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	
11	जहानाबाद ग्रामीण	पंडुई	अनुसूचित जाति	
12	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0–02	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	बैकलॉग
13	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0–03	गैर आरक्षित	
14	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0–03	पिछड़ा वर्ग	
15	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0–04	गैर आरक्षित	
16	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0–05	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
17	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0–09	गैर आरक्षित वर्ग महिला	

Scanned by CamScanner

18	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—10	अनुसूचित जाति	
19	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—13	गैर आरक्षित	
20	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—15	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
21	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
22	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—20	पिछड़ा वर्ग महिला	
23	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—21	गैर आरक्षित वर्ग महिला	
24	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—22	अनुसूचित जाति महिला	
25	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—23	गैर आरक्षित	
26	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—23	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	
27	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—25	गैर आरक्षित	
28	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—27	गैर आरक्षित	
29	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—27	गैर आरक्षित वर्ग महिला	
30	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—29	पिछड़ा वर्ग	
31	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—30	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
32	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—32	अनुसूचित जाति	
33	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—33	गैर आरक्षित वर्ग महिला	
34	जहानाबाद वार्ड	वार्ड सं0—33	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
35	काको ग्रामीण	बरावाँ	अनुसूचित जाति	बैकलॉग
36	काको ग्रामीण	बरावाँ	गैर आरक्षित	
37	काको ग्रामीण	मनियावाँ	पिछड़ वर्गो की महिलाएँ	
38	काको ग्रामीण	सुलेमानपुर	गैर आरक्षित	
39	काको ग्रामीण	पिंजोरा	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
40	काको ग्रामीण	नेरथुआ	गैर आरक्षित वर्ग महिला	
41	काको नगर पंचायत	वार्ड सं0—09	अनुसूचित जाति	
42	काको नगर पंचायत	वार्ड सं0—10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
43	काको नगर पंचायत	वार्ड सं0—11	पिछड़ा वर्ग	
44	काको नगर पंचायत	वार्ड सं0—12	गैर आरक्षित	

Scanned by CamScanner

45	काको नगर पंचायत	वार्ड सं0—13	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	
46	घोसी ग्रामीण	परावन	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	बैकलॉग
47	घोसी नगर पंचायत	वार्ड सं0—01	गैर आरक्षित वर्ग महिला	
48	घोसी नगर पंचायत	वार्ड सं0—04	अनुसूचित जाति महिला	
49	घोसी नगर पंचायत	वार्ड सं0—05	गैर आरक्षित	
50	घोसी नगर पंचायत	वार्ड सं0—12	पिछड़ा वर्ग महिला	
51	घोसी नगर पंचायत	वार्ड सं0—14	गैर आरक्षित	
52	घोसी नगर पंचायत	वार्ड सं0—16	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
53	घोसी नगर पंचायत	वार्ड सं0—20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	
54	मखदुमपुर ग्रामीण	कोहरा	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	बैकलॉग
55	मखदुमपुर ग्रामीण	सुगाँव	अनुसूचित जाति	
56	मखदुमपुर ग्रामीण	सुगाँव	गैर आरक्षित	
57	मखदुमपुर ग्रामीण	पूर्वी सरेन	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
58	मखदुमपुर ग्रामीण	पुनहदा	गैर आरक्षित	
59	मखदुमपुर ग्रामीण	पुनहदा	पिछड़ा वर्ग	
60	मखदुमपुर ग्रामीण	मंझोस	गैर आरक्षित वर्ग महिला	
61	मखदुमपुर ग्रामीण	मंझोस	अनुसूचित जाति	
62	मखदुमपुर ग्रामीण	मंझोस	गैर आरक्षित	
63	मखदुमपुर ग्रामीण	मकरपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	
64	मखदुमपुर ग्रामीण	रामपुर	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
65	मखदुमपुर ग्रामीण	धरनई	अनुसूचित जाति महिला	
66	मखदुमपुर ग्रामीण	छरियारी	गैर आरक्षित वर्ग महिला	
67	मखदुमपुर ग्रामीण	छरियारी	पिछड़ा वर्ग	
68	मखदुमपुर ग्रामीण	छरियारी	गैर आरक्षित	
69	मखदुमपुर ग्रामीण	बेला बीर्रा	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
70	मखदुमपुर ग्रामीण	बेला बीर्रा	गैर आरक्षित	
71	मखदुमपुर नगर पंचायत	वार्ड सं0—01	पिछड़ वर्गो की महिलाएँ	

Scanned by CamScanner

72	मखदुमपुर नगर पंचायत	वार्ड सं0–04	गैर आरक्षित वर्ग महिला	
73	मखदुमपुर नगर पंचायत	वार्ड सं0–09	अनुसूचित जाति	
74	मखदुमपुर नगर पंचायत	वार्ड सं0–10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
75	मखदुमपुर नगर पंचायत	वार्ड सं0–12	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
76	मखदुमपुर नगर पंचायत	वार्ड सं0–13	गैर आरक्षित	
77	मखदुमपुर नगर पंचायत	वार्ड सं0–17	पिछड़ा वर्ग महिला	
78	रतनी फरीदपुर	लाखापुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	बैकलॉग
79	रतनी फरीदपुर	लाखापुर	गैर आरक्षित वर्ग महिला	
80	रतनी फरीदपुर	सोहरैया	अनुसूचित जाति	
81	रतनी फरीदपुर	उचिटा	गैर आरक्षित	
82	रतनी फरीदपुर	कन्सुआ	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	
83	रतनी फरीदपुर	कन्सुआ	गैर आरक्षित	
84	रतनी फरीदपुर	रतनी	पिछड़ा वर्ग	
85	रतनी फरीदपुर	रतनी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	
86	हुलासगंज	कोकरसा	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	बैकलॉग
87	हुलासगंज	खुदौरी	अनुसूचित जाति महिला	
88	हुलासगंज	खुदौरी	गैर आरक्षित	
89	हुलासगंज	सुरजपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	
90	हुलासगंज	दावथु	गैर आरक्षित	
91	हुलासगंज	दावथु	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
92	हुलासगंज	दावथु	गैर आरक्षित वर्ग महिला	
93	हुलासगंज	केउर	अनुसूचित जाति	
94	हुलासगंज	केउर	गैर आरक्षित	

* पिछड़े वर्गो की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलाऐं शामिल मानी जायेगी।

* यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई

Scanned by CamScanner

सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़े वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरीत क्रम **(vice versa)** द्वारा भरा जायेगा।

* नियुक्ति में आरक्षण देने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधान के अनुसार विकलांगो को आरक्षण दिया जायेगा।

(क) पात्रता एवं शर्ते :–

1. आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए।
2. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा। परन्तु कम्पयूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. **दुकान के आवंटन में निम्नलिखित व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अनुकम्पा मामले को छोड़कर प्राथमिकता दी जायेगी।**
   (क) स्वंय सहायता समूह
   (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ
   (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ
   (घ) शिक्षित बेरोजगार
   (ड़) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड (शहरी) के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. **व्यक्ति को दुकान आवंटन में अनुज्ञप्ति लेने हेतु समान अर्हता होने पर प्राथमिकता निम्नवत होगा :–**
   (क) शैक्षणिक योग्यता में अधिक योग्यता को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
   (ख) शैक्षणिक योग्यता में समानता होने पर अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को अधिक योग्य माना जाएगा।
   (ग) शैक्षणिक योग्यता में समानता होने पर अधिक उम्र के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. **निम्नलिखित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा :–**
   (क) संयुक्त परिवार के कई सदस्यों के नाम से दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा। परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित सदस्य माने जायेगें – माता, पिता, भाई, भाभी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु, सौतेला भाई। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से मान्य होगा।
   (ख) मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद, नगर निगम एवं नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों को उनके कार्यकाल तक।
   (ग) आटा–चक्की के मिल मालिकों एवं उसके निकट संबंधियों को।
   (घ) अवश्यक, पागल, विकृतचित, दिवालिया को
   (ड़) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।
   (च) किसी सरकारी लाभ के पद पर पदस्थापित व्यक्ति को।
6. वैसी महिलाओं की सहयोग समितियाँ एवं स्वंय सहायता समूहों को हीं अनुज्ञप्ति दी जायेगी, जिनके पास स्वंय का या किराये का गोदाम उपलब्ध हो एवं उनके पास कार्यशील पूँजी के रूप में कम से कम 100000 (एक लाख) रूपया उपलब्ध हो।
7. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश :–

1. विहित प्रपत्र :– अनुसूची–1 (व्यक्ति विशेष के लिए), अनुसूची–2 (स्वंय सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों को सहयोग समितियाँ के लिए) आवेदन पत्र पूर्ण से भरा हुआ होना चाहिए। (अनुलग्नक–अनुसूचि–1 एवं 2)

   विहित प्रपत्र जहानाबाद जिला के बेबसाईट www.jehanabad.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
2. अनारक्षित/गैर आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार आवेदन दे सकते है।
3. आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रूप में कोई भी राशि देय नहीं है।
4. अपूर्ण/अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेगें।

(ग) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले वांछित कागजात/प्रमाण–पत्र

(1) सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए :–

i. आवेदन पत्र के साथ अपना अद्यतन तीन रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जिसमें से एक सत्यापित फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दायें कोने में चिपकाया होना चाहिए। शेष दो फोटो के पीछे आवेदक का नाम तथा पूरा पता अंकित होना चाहिए।

ii. शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर संबंधित योग्यता प्रमाण–पत्र तथा उम्र से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

iii. अंचल अधिकारी द्वारा अद्यतन निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

iv. दुकान या गोदाम का स्थल अगर अपना है तो उसका खाता, खेसरा एवं रकवा से संबंधित खतियान/केवाला तथा लगान रसीद की सत्यापित छायाप्रति, यदि किराया का है तो किरायानामा (Deed of Lease) से संबंधित एकरारनामा (Agreement) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(2) उपरोक्त कागजात/प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणी के आवेदनों में निम्नांकित स्वप्रमाणित कागजात/प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक

(क) व्यक्ति विशेष श्रेणी के आवेदनों के लिए :–

यदि आवेदक आरक्षण श्रेणी की रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे है तो अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए), क्रिमिलेयर रहित प्रमाण–पत्र (पिछड़े वर्ग के लिए) एवं जाति प्रमाण–पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण–पत्र (अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(ख) स्वंय सहायता समूह महिलाओं की सहयोग समितियों एवं पूर्व सैनिकों की सहयोग समिति के लिए :–

i. सहकारी समितियों/पैक्सों के निर्वाचन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

ii. सहकारी समितियों/पैक्सों के बैंक खाता की सत्यापित छायाप्रति।

(3) स्वंय सहायता समूह के लिए :–

i. न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो तथा बैंक खाता भी न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो।

Scanned by CamScanner

ii. निर्वाचन संबंधी बैठक की कार्यवाही की सत्यापित छायाप्रति।

iii. स्वंय सहायता समूह में प्राप्त ग्रेडिंग का प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

iv. स्वंय सहायता समूह के बैंक खाता की सत्यापित छायाप्रति।

(4) आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :–

पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में एवं लिफाफे के उपर (अवश्य रूप से)

(1) विज्ञापन संख्या–01/2026

(2) पंचायत/वार्ड का नाम ....

(3) प्रखंड/नगर निकाय का नाम. ....

अंकित करते हुए अपने पूर्ण पते के साथ दिनांक 10.02.2026 के कार्यालय अवधि तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, के पता **अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद पिन कोड नं0–804408** पर स्वीकार किये जायेगें। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि के बाद निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से आये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

12/01/2026

अनुमंडल पदाधिकारी,
जहानाबाद।

Scanned by CamScanner

अनुसूची – 1

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम
एवं कार्यालय का पता

1. **आवेदक की विशिष्टियाँ –**
   - (क) नाम
   - (ख) पिता / पति का नाम
   - (ग) शैक्षणिक योग्यता
   - (घ) उम्र
   - (ङ) स्थायी तथा वर्त्तमान पता (फोन नं./ मोबाईल नं./ ई–मेल पता के साथ)
   - (च) कम्प्यूटर ज्ञान
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-
   व्यवसाय स्थल का विवरण
   - (क) मकान / दुकान संख्या :
   - (ख) होल्डिंग नं0 :
   - (ग) क्षेत्रफल :
   - (घ) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   - (ङ) चौहद्दी :
   - (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   - (छ) ग्राम / शहर :
   - (ज) थाना :
   - (झ) जिला
3. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें
4. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
5. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें
6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?
8. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है ?
9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित हैं ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
11. क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है ?
12. क्या आवेदक किसी आटा–चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?
13. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?

मैं .... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । भविष्य में यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

" बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

अनुसूची – 2

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र

(स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम ....
एवं कार्यालय का पता

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

1. **महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ**
   - (क) नाम एवं प्रकार :
   - (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष :
     (स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ग्रेडिंग के साथ)
   - (ग) कार्यालय का पता :
   - (घ) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :
   - (ङ) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण :
     (निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
   - (च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें:
2. **उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-**
3. **महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनाएँ :-**
   - (क) नाम :
   - (ख) पिता/पति का नाम :
   - (ग) स्थायी पता :
   - (घ) पत्राचार का पता :
   - (ङ) फोन नं0/मोबाईल नं0/ :
     ई-मेल पता :
4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें
5. **व्यवसाय स्थल का विवरण :-**
   - (क) मकान / दुकान संख्या :
   - (ख) होल्डिंग नं0 :
   - (ग) क्षेत्रफल :
   - (घ) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   - (ड़) चौहद्दी :
   - (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   - (छ) ग्राम / शहर :
   - (ज) थाना :
   - (झ) जिला :
   - (ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता :
6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
7. यदि महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें
8. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण :–

   (आवेदन की तिथि को बैंक खातों एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)

मैं .... एतद्द्वारा .... की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक.......................... को पारित प्रस्ताव संख्या..................द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में

Scanned by CamScanner

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही है एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि .... की प्रबंध समिति ने "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है।

सहयोग समिति/स्वंय सहायता समूह के
प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सहयोग समिति/स्वंय सहायता समूह
का नाम

आवेदन करने हेतु प्राधिकृत
व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सहयोग समिति/स्वंय सहायता समूह
का नाम

Scanned by CamScanner